न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

वाद सं०–02 / 2018
धारा–107 द०प्र०सं०
पार्वती देवी वगैरह ....प्रथम पक्ष
बनाम
बारी देवी वगैरह ....द्वितीय पक्ष

तिथि	आदेश	
08/10/2018	प्रस्तुत वाद स०अ०नि० तमाड़ के अप्राथमिकी संख्या–02 / 18 दिनांक–12 / 01 / 18 के द्वारा प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर धारा–107 द0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारंभ की गई। यह विवाद मौजा पेड़ाईडीह थाना–224 खाता संख्या–128 प्लॉट संख्या–1048 रकबा–10डी0 मध्ये 05 डी0 पर दावे को लेकर उत्पन्न हुआ है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा समर्पित किया गया है। प्रथम पक्ष अपने कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि प्रथम पक्ष के पार्टी सं०–1 पार्वती देवी झाड़ू लगा रही थी , उस समय द्वितीय पक्ष के पार्टी संख्या– 01 बारी देवी आई और बोली की यहाँ पर झाड़ू क्यों लगा रही हो व अपशब्द बोलने लगी एवं गाली गलौज करने लगी। गाली का कारण पूछने पर द्वितीय पक्ष पार्टी संख्या–02 कार्तिक मुण्डा एवं 03 अघनू मुण्डा डण्डा, लाठी से लैस होकर आए व मारने पीटने पर उतारू हुए। तथा प्रथम पक्ष के मकान के छप्पर को तड़ातड़ मारे की अनेको खपरैल क्षति हुआ और पूरा छप्पर खराब हो गया और जान से भी मारने की धमकी दी। प्रश्नगत भूमि उन्हें पट्टा द्वारा प्राप्त है, जिस पर मालगुजारी रसीद पेड़ाईडीह के जमींदार कान्दन सिंह मुण्डा द्वारा सम्बत हजाम के नाम से काटा जाता है। प्रथम पक्ष के लोग मकान बनाकर 25 वर्षो से सपरिवार रहते है। द्वितीय पक्ष ने अपने कारण पृच्छा में प्रतिवेदित किया है कि मौजा–पेड़ाईडीह थाना–224 खाता –128 प्लॉट संख्या–1048 रकबा–10 डी0 जमीन, खेवट संख्या–11 रघुनाथ सिंह वगैह के नाम से बकास्त लगान पाने वाला दर्ज है। द्वितीय पक्ष के सदस्य करम सिंह मुण्डा पिता–स्व0 चुन्नू सिंह मुण्डा खेवट–11 रघुनाथ सिंह वगैरह के पोता है। प्रथम पक्ष के सदस्य के पास विवादित जमीन से संबंधित किसी प्रकार का वैध कागजात नहीं है। जो भी वें दिखा रहे है फर्जी व बनावटी है। प्रथम पक्ष के स्वतंत्र गवाह संख्या–01 पूर्ण चन्द्र लोहरा ने अपनी गवाही में परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि झगड़ा कब हुआ नहीं मालुम। झगड़ा को सूना हूँ, होते हुए नहीं देखा है। द्वितीय पक्ष के करम सिंह मुण्डा पेड़ाईडीह के रहने वाले है। अन्य लोग सारूबेड़ा के रहने वाले है। अभी वर्त्तमान में दोनों पक्षों के बीच शांति है। गवाह संख्या–02 सुचित्रा देवी जो प्रथम पक्ष की बेटी है, ने अपनी गवाही में परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि द्वितीय पक्ष के कुछ लोग सारूबेड़ा एवं कुछ लोग पेड़ाईडीह के रहने वाले है। सारूबेड़ा से पेड़ाईडीह की दूरी लगभग 10 कि०मी० है। गवाह संख्या–03 सम्बत ~~मुण्डा(सरकारी~~ हजाम गवाह) ने अपनी गवाही में परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि उन्होने जमीन बुधन लाल सिंह मुण्डा से लिया है। बुधन सिंह मुण्डा के दादाजी पंचम सिंह जमीन को पूर्व में	

तिथि	आदेश	

रघुनाथ सिंह मुण्डा से लिए था। जमीन की रसीद कान्दन सिंह मुण्डा काटते थे, जो रघुनाथ सिंह मुण्डा का बेटा था। झगड़ा के समय और आदमी लोग थे लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा।

द्वितीय पक्ष स्वतंत्र गवाह–01 चमर महतो के अपने परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि दिनांक–09/01/18 को सुबह 8 बजे मैं सिन्दो हजाम के घर हजामत बनाने गया था। सिनदो हजाम के घर से उभय पक्ष के घर की दूरी 100 फीट है। झाड़ू लगाने की बात नहीं जानता, क्योंकि घर के अंदर था। घर के अंदर होने के कारण गाली गलौज नहीं सुना। अभी 6–7 महीनो के बीच उभय पक्ष में कहा–कही या धमका–धमकी नहीं हुआ है।

गवाह संख्या–02 पार्टी गवाह करम सिंह मुण्डा ने अपनी परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि विवादित जमीन खाता संख्या–128 प्लॉट संख्या–1048 रकबा–10 डी0 मध्ये 5 डी0 मेरा है, कहकर प्रथम पक्ष झगड़ा करता है। विवादित भूमि पर 2 डी0 जमीन में 3–4 साल से घर है। अभी सम्बत हजाम परिवार के साथ रहता है। लेकिन प्रथम पक्ष द्वारा जमीन में जबरन कब्जा करने को लेकर द्वितीय पक्ष द्वारा केस नहीं किया गया है।

उभय पक्ष के कारण पृच्छा, पुलिस प्रतिवेदन, प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने से यह स्पष्ट होता है कि विवाद भूमि को लेकर है। वर्त्तमान में दोनों पक्ष के बीच शांति बनी हुई है तथा शांतिभंग होने की सम्भावना की पुष्टि नहीं हो पायी है। अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है। जहाँ तक भूमि पर दावे की बात है आहत पक्ष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है।

लेखापित एवं संशोधित।

09/01/18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

09/01/18

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू(राँची)

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:02:58 +05:30
Location: 192.168.43.107